

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर
पीठासन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.) अनवान

प्रपत्र - 5

वादीगण

1 रमेश 2 चन्द्रप्रकाश 3 भूपेन्द्र कुमार 3
प्रकाश पिसरान गोरधन जाति जाट वनाम
निवासी काऊ का खेड़ा तहसील बाडमेर
ग्रामीण व जिला बाडमेर।

प्रतिवादीगण

1 गोरधन पुत्र अमरा जाति जाट निवासी
काऊ का खेड़ा तहसील बाडमेर ग्रामीण
जिला बाडमेर 2 शाखा प्रबन्धक एसबीआई
शाखा कवारा 3 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

दावा बाबत 88, 188 व 209 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 29/2022

निर्णय दिनांक :- 07.06.2022

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज
तारीख 07.06.2022 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम
डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद माफिक ईकबाली जवाब दावा स्वीकार किया जाकर मोजा काऊ
का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत कवारा संख्या
45 रकबा 0.07 बीघा व खसरा संख्या 46 रकबा 62.09 बीघा कुल रकबा 62.16 बीघा भूमि में
वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 गोरधन के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण
एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा घोषित किया जाता है। चौसाला
जमाबन्दी संवत् 2070-2073 में उक्त भूमि एसबीआई शाखा कवास के अधीन रहना है। अतः
तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें। खर्च पक्षकारान
अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 07.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई।



(समदरसिंह भाटी)
पीठासन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़			जोड़